

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

(1-3) अपील संख्या 374 से 376/2016/जयपुर

मैसर्स कोमल बिल्डकोन प्रा०लि०,
16, गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म के पास, खातीपुरा रोड, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग-तृतीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री मोहनलाल साहरण, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11.04.2017


निर्णय

1. उपर्युक्त तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.12.2015 द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	क.नि.वर्ष	विमुक्ति शुल्क	ब्याज	योग
374 / 16	71/अपील्स-I/आरवीएटी/आई	13.04.15	09-10	324013	213850	537863
375 / 16	72/अपील्स-I/आरवीएटी/आई	25.02.15	10-11	458687	233930	692617
376 / 16	73/अपील्स-I/आरवीएटी/आई	25.02.15	11-12	9766	3809	13375

2. इन तीनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधि में मैसर्स गेरीसन इंजीनियर्स, एमईएस, जयपुर एवं भरतपुर के कार्य आदेश क्रमांक 80575/10/ई-8 दिनांक 11.09.2007 एवं 8234/17/ई-8 दिनांक 01.10.2009 के लिये अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 के तहत 1.5 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त संख्या 28/428 एवं 4867/23 जारी किये गये। तत्पश्चात सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा निष्पादित Construction of boundary wall in military area को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 "Works contracts relating to bulidings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system." से भिन्न अर्थात् relating to bulidings से भिन्न मानते हुए अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 के तहत 3 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु धारा 26 के तहत कार्यवाही सम्पादित की एवं स्वविवेक के आधार पर धारा 26 के तहत आदेश पारित करते हुए 1.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विमुक्ति शुल्क एवं ब्याज का आरोपण उपरोक्त तालिकानुसार किया गया। सशक्त अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं, जिनको निस्तारित करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार कर दी गईं, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गईं।





लगातार.....2

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा "Construction of boundary wall" का संविदा कार्य निष्पादित किया गया है। यह कार्य बिल्डिंग से संबंधित होने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में 1.5 प्रतिशत की दर से जारी किया गया विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र न्यायोचित था। किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्रों को संशोधित कर उक्त कार्य को भवन से संबंधित नहीं मानते हुए 3 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.08.2006 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि इस अधिसूचना की सूची के क्रमांक 2 के अनुसार अपीलार्थी का 1.5 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क चुकाने का दायित्व बनता है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा बिल्डिंग से संबंधित कार्य किया गया है।

विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि "Construction of boundary wall" का निर्माण कार्य भवन, रोड इत्यादि के निर्माण कार्य की प्रकृति के समान है तथा दोनों में प्रयुक्त मैटेरियल समान है। "Construction of boundary wall" भवन निर्माण का ही एक अंग है। सशक्त अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित विमुक्ति शुल्क अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के प्रावधानों के विपरीत है। विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, अलवर बनाम यूनिटेक लि0, अलवर अपील संख्या 1018/2007/अलवर के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 09.06.2011 का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में चिमनी के निर्माण को भी Works contract relating to bulidings माना गया है, क्योंकि यह भवन का अभिन्न अंग है तथा इसके निर्माण हेतु भी भवन निर्माण की तरह ईंट, सीमेंट, रोडी, पत्थर आयरन एवं स्टील की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मैसर्स राकेश एन्टरप्राइजेज जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, संभाग द्वितीय, जयपुर अपील संख्या 768/84/2010/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 में सड़क के किनारे किये गये निर्माण को Works contracts relating to Road माना गया है। इस आधार पर किसी भवन के चारों ओर बनाई गई चारदीवारी भवन से ही संबंधित है इसलिये उसे relating to bulidings वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाना चाहिए। अतः उक्त आधारों पर उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में अपीलार्थी को Construction of boundary wall के संविदा कार्य हेतु दिनांक 02.05.2008 एवं 29.10.2009 को विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र संख्या 28/428 एवं 4867/23 डेढ प्रतिशत की दर से जारी किये गये थे। तत्पश्चात सशक्त अधिकारी ने उनके द्वारा निष्पादित कार्यों को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के क्रमांक 4 के तहत 3 प्रतिशत विमुक्ति शुल्क की श्रेणी में मानते हुए डेढ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विमुक्ति शुल्क का आरोपण किया है। इस क्रम में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)/एफडी/टैक्स/2005-80 दि. 11.08.2006 का क्रमांक 2 इस प्रकार है - "Works contracts relating to bulidings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system."

[Handwritten signature]
11/04/17

[Handwritten signature]

लगातार.....3


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2015 एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 6/2007 सीटीओ बनाम पेनार इण्डो लि० में निम्नानुसार न्यायिक व्यवस्था प्रदान की है :-


"Works Contract - Works related to road -Respondent was awarded work related to fixing of Works profile Safety Barrier at toll plaza. On an application moved by the RSBCCCL and the respondent assessee jointly, department granted certificate of exemption in from ST-2 with exemption fee @1% with 12% surcharge and the same was required to be paid by the assessee. The AO vide order dated 27.11.2001 came to the conclusion that certificate of exemption though was related to every part of roads but fixing and providings of Works Profile Safety Barrier could not be said to be relating to roads but these were safety steel barriers and could be used for the other pruposes, othe than road, therefoer, withdraw the benefit available to the respondent assessee granted earlier. DC(A) allowed the appeal which was also confirmed the same. Rajasthan High Court while dismissing the petition of the department held that:- On the national highway, as in the instant case, not only small vehicles travel but heavy vehicles i.e trucks, trailers also travel and keeping in view the various sizes of the vehicles, such roads are being constructed and safety measures are adpoted so that the accidents may not take place and only on account of fixing safety measures,the assessee was awarded contract of fixing "Works Profile Safety Barrier at Toll Plaza, Natioinal Highway No. 8", which, in my view, is certainly relating to part of the road. Developing/constructing a road over the years require latest technology and it is not merely putting concrete, grit, coal tar etc. but many more thing,s the words "merely putting concrete, grit, coat tar etc but many more things. the words "relating to" has a wide meaning and cannot be restricted only to putting of concrete, grit, coal tar etc. but it should mean evrything relating to road. the expression such as "arising out of " "in respect of the" or "in connection with" in relation to" in consequence of" or "concerning" or "relating to" the contract are of th widest amplitude and content and include even questions as to the existence, validity and effect (scope)."

इसी प्रकार राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 574/2012/कोटा मैसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कोटा बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 09.09.2016 उक्त आदेश प्रतिपादित किया :-

"व्यवहारी ठेकेदार ने न्यूक्विलयर पावर कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० अणुशक्ति के कार्यादेश क्रमांक 78015 दिनांक 11.01.0211 से 16,67,409/- रूपये **Modification and Construction of Main Plant Boundry Wall between RAPP 5, 6, 7, & 8** का कार्यादेश प्राप्त किया और प्रारूप WT-1 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 1.50 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.01.2012 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को ई.सी. फीस 1.50 प्रतिशत दर से देयता निर्धारित की जाती है।"

उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2015 अपास्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


11.4.2017
(मदन लाल)
सदस्य